

## कार्यालय वन संरक्षक, गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी

पत्रांक:- 356 / 12-1 दिनांक, पौड़ी, अगस्त 14, 2019.

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं  
नोडल अधिकारी वन संरक्षण,  
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय- जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली जेंटा कोटी-ग्वालखेत- पेंखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में।

Proposal No. - FP/UK/ ROAD/22108/2016

सन्दर्भ- प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर का पत्रांक 571/12-1 दिनांक 01.08.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बट्टीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा वॉच्छित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार से किया गया है:-

क्र० स०	आपत्ति	उत्तर
1	Justification is not authenticated by DFO. Please upload justification at para-D(i) in form A, part I authenticated by DFO.	Justification Certificate DFO द्वारा सत्यापित कर Part I, Form A के पैरा-डी (i) में अपलोड कर दिया गया है, तथा हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
2	Employment generation data, it is seen that temporary employment of 100 man day and permanent employment of 83 numbers is shown at sr.no. online. It does not appear to be correct.	Employment generation data संशोधित कर SR no-E में ऑनलाईन कर दिया गया है।
3	Other documents uploaded at the place of Ownership proof at Column L(iv) g, f please upload correspondes documents at designated column in form A, Part I.	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
4	Area of CA in Non-Encumbrance certificate is wrongly filled at Column L(iv) h of form A, Part I	CA Scheme and site Suitability Certificate अपलोड कर दिया गया है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(एन०एन०पाण्डेय)

वन संरक्षक,

गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

# ॥ कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर ॥

पत्रांक 571 / 121

दिनांक, गोपेश्वर, जुलाई, 01/08 /2019

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,  
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड  
देहरादून।

द्वारा:-

वन संरक्षक,  
गढ़वाल वृत्त, उत्तराखण्ड, पौड़ी।

विषय:-

जनपद चमोली के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली जैटा कोटी-गवालखेत-पैखोली  
मोटर मार्ग का बैनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्ति के निराकरण के सम्बन्ध में।

संदर्भ:-

महोदय,

ई0डी0एस0 दिनांक 10.05.2018

उपरोक्त संदर्भित पत्र से विषयांकित प्रस्ताव का अवलोकन करने पर कतिपय कमियों का निराकरण करने हेतु प्रस्तावक विभाग को प्रस्ताव वापस किया गया, जिसके क्रम में अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग की पत्र सं0 1536/10 एल0ए0 दिनांक 16.07.2019 से आपत्ति का निराकरण कर इस कार्यालय को प्रेषित किया गया है। जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आपत्ति	उत्तर
1.	Justification is not authenticated by DFO. Please upload justification at para-D(i) in form A, part I authenticated by DFO.	Justification certificate DFO द्वारा सत्यापित कर part I, form I के पैरा-डी(प) में अपलोड कर दिया गया है, तथा हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
2.	Employment generation data, it is seen that temporary employment of 100 man day and permanent employment of 83 numbers is shown at Sr.no. E online. It does not appear to be correct.	Employment generation data संशोधित कर SR no-E में ऑनलाईन कर दिया गया है।
3.	Other documents uploaded at the place of Ownership proof at Column L(iv) g, f please upload correspondes documents at designated column in form A, Part I.	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
4.	Area of CA in Non-Encumbrance certificate is wrongly filled at Column L(iv) h of form A, part I.	CA Scheme and site suitability certificate अपलोड कर दिया गया है।

अतः उक्त प्रकरण में अपने स्तर से यथोचित कार्यवाही करने की कृपा करे।

भवदीय,

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।

पत्रांक:-

दिनांकित।

प्रतिलिपि:- अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, कर्णप्रयाग को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(अमित कंवर)

प्रभागीय वनाधिकारी,  
बद्रीनाथ वन प्रभाग, गोपेश्वर।





कार्यालय अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग  
कर्णप्रयाग

Phone/Fax- 01363-244204

Email- eepdpwdkpg@gmail.com

पत्रांक 1536 / 18 फरवरी  
सेवा में,

दिनांक 16/7/2019

प्रभागीय वनाधिकारी  
बद्रीनाथ वन प्रभाग  
गोपेश्वर।

विषय:- माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अन्तर्गत जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग में बगोली-जेटा-कोटी-ग्वालखेत-पेंखोली मोटर मार्ग का बेनीताल तक विस्तारीकरण में लगायी गयी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- EDS दिनांक 10.05.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित EDS के अनुपालन में भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण किया गया जो निम्न प्रकार है:-

1	Justification is not authenticated by DFO. Please upload justification at para-D (i) in form A, part I authenticated by DFO.	Justification certificate DFO द्वारा सत्यापित कर part I, form A के para-D (i) में अपलोड कर दिया गया है। तथा हार्ड कॉपी संलग्न कर आपको प्रेषित की जा रही है।
2	Employment generation data, it is seen that temporary employment of 100 man day and permanent employment of 83 numbers is shown at SR No. E online. It does not appear to be correct.	Employment generation data संशोधित कर SR No. E में ऑनलाईन कर दिया गया है।
3	Other documents uploaded at the place of Ownership proof at Column L (iv) g, f please upload correspondes documents at designated column in form A, Part I.	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
4	Area of CA in Non- Encumbrance certificate is wrongly filled at Column L (iv) h of Form A, part I.	आपत्ति का निराकरण कर संशोधित कर दिया गया है।
5	CA scheme and site suitability certificate is not uploaded at para - 13 in form A, Part II.	CA scheme and site suitability certificate अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्त आपत्तियों का निराकरण कर सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्त प्रपत्र।

पंजी. सं. 502  
का. सं. 12-1  
दिनांक 22/7/19  
प्रमाण - बद्रीनाथ वन प्रभाग

प्रमाणित  
आ. सं. 24/25/1

अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग